(b) the number of new drugs introduced during the period year-wise; and

(c) particulars such as number of applicants and number of drugs approved for each applicant year-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR): (a) The number of New Drugs Applications received and approved by the Drugs Controller (India) is given below:—

Year	Numbers of new applications received	Number of new drugs approved
1977-78 .	49	11
1978-79 .	43	19
1979-80 . .	39	14
1980-81 . .	24	13

(b) and (c). The information relating to these parts is not readily available.

दिल्ली प्रशासन द्वारा संयुक्त राष्ट्र-अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि की आंगन-बाड़ी योजना का कार्यान्वयन

4718. **श्री कल्पनाथ सोनकर :** क्या शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के समाज कल्याण विभाग द्वारा संयुक्त राष्ट्र अन्त-र्राष्ट्रीय बाल आपात निधि की आंगन-बाड़ी योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं; और इस योजना में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये क्या मानदण्ड निर्धारित किया गया है ;

(ग) दिल्ली में यह योजना किन स्थानों पर कार्यान्वित की जा रही है ; और

(घ) क्या इस योजना को दिल्ली में उन स्थानों पर भी आरम्भ करने का विचार है जिन को छोड़ दिया गया है और यदि हां, तो कब तक ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाई जा रही समेकित बाल विकास सेवा योजना का उद्देश्य 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा गर्भवती/दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक पोषाहार, रोग-प्रतिरोधन, स्वास्थ्य जांच, निर्देशक सेवाएं पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा तथा अनौप-चारिक शिक्षा इत्यादि सेवाएं प्रदान करना, आंगनबाड़ी को केन्द्र बिन्दु मान कर कार्यान्वित किया जा रहा है । यूनीसेफ सहायता, परामर्श, प्रशिक्षण, पूर्ति, यंत्र, प्रबोधन और मूल्यांकन तक सीमित है ।

बाल विकास परियोजना अधिकारी परियोजना का पूर्णकार्यभारी होता है । उसे ग्रामीण, शहरी और जन जातीय क्षेत्रों की परियोजनाओं में क्रमश: पांच-चार और तीन मुख्य सेविकाओं द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है । इन सेवाओं का केन्द्र बिन्दु ग्रामीण/स्थानीय स्तर पर आंगनबाड़ा केन्द्र हैं । देहली प्रशासन द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी और मुख्य सेविकाओं के पदों पर पर नियुक्ति, 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा (पदोन्नति का आधार न होने पर 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा) की जाती है । आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 18 से 44 वर्ष की अवैतनिक महिला कार्यकर्ता हैं ।

परियोजना क्षेत्र की निवासी जरूरतमंद महिला/लड़कियों को प्राथमिकता दी जाती है ।

(ग) दिल्ली की निम्नलिखित गंदी बस्तियों में कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है :—

समेकित बाल विकास परियोजना

1. **जामा मस्जिद**—जामा मस्जिद, मटिया महल, तुर्कमान गेट और अजमेरी गेट ।

2. **मंगोल पुरी**—मंगोलपुरी और सुल्तानपुरी पुनर्वास कालोनियां ।

3. **नन्द नगरी**—नन्द नगरी, गोकलपुरी, जाफराबाद, ब्रह्म- पुरी मौजपुर गौंडा और इसके साथ का क्षेत्र ।

4. **त्रिलोकपुरी**—त्रिलोकपुरी, हिम्मतपुरी, खिचड़ीपुर और कल्याणपुरी पुनर्वास कोलोनियां ।

5. **जहांगीरपुरी**—जहांगीरपुरी, मजलिस पार्क, अजादपुर और वजीरपुरी जे० जे० कोलोनी ।

6. **सीमापुरी**—सीमापुरी (पुरानी और नयी) सीलमपुर-फेज–1, 2, 3 और 4 पुराना सीलम-पुर, धर्मपुरा, उस्मान पुर, नया गांव, गौतमपुरा, अजीत नगर, और रघुबीर पुरा की शहरी गंदी बस्तियां ।

इसके अतिरिक्त केन्द्र शासित दिल्ली प्रशासन द्वारा स्व-धनराशि द्वारा निम्न-लिखित दो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं :—

समेकित बाल विकास परियोजना सम्मिलित क्षेत्र

1. **खानपुर**—खानपुर, दक्षिणपुरी, जे० जे० कोलोनी मदनगीर गांव और टिगरी जे० जे० कोलोनी, उसके साथ का क्षेत्र ।

2. **शकरपुर**—शकरपुर, मादीपुर, ख्याला, छाखान्दी, रघुबीर नगर, जे० जे० कोलोनी, तिलक नगर की हरिजन कोलोनी ।

(घ) 1981–82 के दौरान, दिल्ली में निम्नलिखित स्थानों पर दो और नई परियोजनाएं चलाकर, कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है :

समेकित बाल विकास सेवा परियोजना सम्मिलित करने वाले क्षेत्र

1. **आनन्दपर्वत**—आनंद पर्वत, बापा नगर, रैगरपुरा, सत नगर, ट्रंक रोड, चंद्रशेखर नगर और पदम नगर ।

2. **इन्द्रपुरी**—इन्द्रपुरी जे० जे० कोलोनी, प्रेम नगर, बलजीत नगर, जे० जे० कोलोनी, पानदेव नगर, बलजीत नगर ।

छठी पंच वर्षीय योजना के बचे हुए वर्षों में कुछ और परियोजनाएं शुरू करने का विचार है ।